

# 'जन कल्याण परिषद समिति'

का  
स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : 'जन कल्याण परिषद समिति'
2. संस्था का निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय  
ग्राम-सलैया,  
पो0-बरवाँ, थाना-बरकट्टा,  
जिला-हजारीबाग,  
झारखण्ड, पिन-825323
3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण झारखण्ड।
4. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य  
रहेंगे।

क) समाज में व्याप्त बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से बेरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना स्वरोजगार प्रशिक्षण के अन्तर्गत डिप्लोमा स्तर ए0एन0एम0 (असिस्टेंट निर्सिंग मिडवाइफरो) होम निर्सिंग, प्राइमरी ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, मेडिकल लैव टेक्नोलॉजी, रेडियोलोजी तकनिशीयन, ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग, नर्स सहायता, कम्प्यूटर, नर्सरी टिचर प्रोग्राम, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स पर आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र खोल कर स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के तहत उक्त पाठ्यक्रम संचालित करना।

ख) स्वयं सहायता समूह गठन संबंधी जागरूकता, स्वरोजगारोन्मुखी शिक्षण/प्रशिक्षण, परिवार कल्याण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, मलेरिया, डायरिया, यक्ष्मा, जच्चा-बच्चा टीकाकरण, पोलियो, मस्तिष्क ज्वर, हेपाटाईटिस, नशा उन्मूलन, एड्स जागरूकता, आत्मदा प्रबंधन, अन्तरजातीय विवाह का प्रोत्साहन, बाड़ी, बाग-बगीचा, वन प्रबंधन, औषधीय पौधे लगाना, चिकित्सा तथा दवा की व्यवस्था करना। साथ ही अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में भू-धसान से बचाव हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता एवं विस्थापित वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करना साथ ही भू-मापक का प्रशिक्षण दिलाना।

ग) समाज में सभी जगह खेल, संगीत, नृत्य, गायन चित्रकला एवं अन्य कलाओ का प्रचार प्रसार करना एवं प्रतिभावान व्यक्ति को पुरस्कृत करना।

Pranava Prasad.

सुमिता कुमारी

राजेंद्र प्रसाद

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs. 3.15

घ) पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विभिन्न तरह के कारगर उपाय करना एवं इसके लिए वानिकी एवं सामाजिक वानिकी की योजना को संचालित करना, साथ ही कृषि के नये-नये तकनीकों को लोगों को बतलाना। कृषि के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। इस उद्देश्य से जनमानस में जागृति पैदा करने हेतु संगोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करना। व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कार्यक्रम से संगोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन का कार्य करना। पेयजल की समस्या का समाधान हेतु विभिन्न समस्या ग्रस्त शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल, कुआं पानी की टंकी आदि की व्यवस्था करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पुल-पुलिया, सड़क, चेक डैम, भवन निर्माण संबंधित कार्य कराना।

ड.) संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को आर्थिक मदद पहुँचाकर उन्हें आर्थिक रूप से उन्नत करेगी, उनका आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकाश करवाना। श्रमिकों का आर्थिक सामाजिक विकास करना। संस्था द्वारा स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग/कुटिर उद्योग की स्थापना एवं प्रशिक्षित करना। श्रमिकों की हर सम्भव मदद करना। समाज में व्याप्त विषमता, शोषण, अज्ञान अंधविश्वास, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, बाल-श्रमिक, बंधुश्रमिक की प्रथा को समाप्त करने हेतु सभा, सम्मेलन, गोष्ठी का आयोजन कर महिलाओं को जागरूक करना।

च) कृषि क्षेत्र में विकास के लिए संस्था हर संभव प्रयास करेगी तथा संस्था राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगारोन्मुख बनाने के लिए सिलाई, कताई, रंगाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती निर्माण, काशिदाकारी, बुनाई, जरी, पैटिंग, फैशन डिजाईन, कम्प्युटर, टंकण, कुटिर उद्योग लघु उद्योग, गृह उद्योग एवं व्यवसायिक शिक्षा पर आधारित व्यवसाय का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। पशुपालन (गाय पालन), उन्नत किस्म का गाय पाल कर डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन पर विशेष बल देना साथ ही मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीड़ा पालन बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, शरणाश पालन, मशरूम उत्पादन, प्रशिक्षण देकर कार्य योग बनाना तथा अन्य व्यवसायिक कार्य करना।

Upencha Prasad

सुमिता कुमारी

राजेश प्रसाद

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :-

क्र.	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता, मकान न०/होल्डिंग न० गली/रोड सं०, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री उपेन्द्र प्रसाद पिता-श्री बासुदेव महतो	म०स०-214, ग्राम-गयपहारी, पो०-काल्हाबाद, थाना-बरकट्टा, हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825323	29	मैट्रिक	समाजसेवा	अध्यक्ष		Upendra Prasad
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता-श्री बुलाकी प्रसाद	ग्राम-सलैया, थाना-बरकट्टा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	24	बी०ए०एम० ए०	समाजसेवा	सचिव		राजेन्द्र प्रसाद
3.	श्रीमती सुमीता कुमारी पिता-श्री अशोक प्रसाद चौधरी	ग्राम-सलैया, थाना-बरकट्टा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	19	इण्टर	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष		सुमिता कुमारी
4.	श्री संतोष कुमार पिता-श्री छोटी महतो	म०स०-80 ग्राम-सलैया, थाना-बरकट्टा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	23	इण्टर	समाजसेवा	सदस्य		Santosh Kumar

Upendra Prasad

सुमिता कुमारी

राजेन्द्र प्रसाद

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of RS. 3.75

5.	श्री सरीता कुमारी पति-श्री सीताराम प्रसाद	म0सं0-62 ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो0-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	20	मेट्रिक	समाजसेवा	सदस्य	 सरीता कुमारी	सुमिता कुमारी
6.	श्री राजेश कुमार पिता-श्री त्रिवेणी प्रसाद	ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो0-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	19	मेट्रिक	समाजसेवा	सदस्य	 राजेश कुमार	राजेश कुमार
7.	श्री हरिलाल प्रसाद पिता-श्री गोविन्द महतो	म0सं0-93, ग्राम+पो0-पडरिया, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग पिन-825405	20	मेट्रिक	समाजसेवा	सदस्य	 हरिलाल प्रसाद	हरिलाल प्रसाद

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs. 100/-

Upendra Prasad.

सुमिता कुमारी

राजेश कुमार

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :-

क्र.	पूरा नाम, पिता/.पति का पूरा नाम	पूर्ण पता, मकान न०/होलिडिंग न० गली/रोड सं०, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1	श्री उपेन्द्र प्रसाद पिता-श्री बासुदेव महतो	म०सं०-214, ग्राम-गयपहारी, पो०-काल्हाबाद, थाना- बरकड़ा, हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825323	29	मैट्रिक	समाजसेवा		उपेन्द्र प्रसाद
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद, पिता- श्री बुलाकी प्रसाद	ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	24	बी०ए०एम० ए०	समाजसेवा		राजेन्द्र प्रसाद
3	श्रीमाती सुमीता कुमारी पिता- श्री अशोक प्रसाद चौधरी	ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	19	इण्टर	समाजसेवा		सुमीता कुमारी
4	श्री संतोष कुमार पिता-श्री बासुदेव महतो	म०सं०-80 ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो०-बरवाँ, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	23	इण्टर	समाजसेवा		संतोष कुमार

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of RS. 3.75

उपेन्द्र प्रसाद

सुमीता कुमारी

राजेन्द्र प्रसाद

5.	श्री सरीता कुमारी पति-श्री सीताराम प्रसाद	म0सं0-62 ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो0-बरवौं, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	20	मेट्रिक	समाजसेवा	 सरीता कुमारी	सरीता कुमारी
6.	श्री राजेश कुमार पिता-श्री त्रिवेणी प्रसाद	ग्राम-सलैया, थाना-बरकड़ा, पो0-बरवौं, जिला-हजारीबाग, पिन-825323	19	मेट्रिक	समाजसेवा	 राजेश कुमार	राजेश कुमार
7.	श्री हरिलाल प्रसाद पिता-श्री गोविन्द महतो	म0सं0-93, ग्राम+पो0-पडरिया, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग पिन-825405	20	मेट्रिक	समाजसेवा	 हरिलाल प्रसाद	हरिलाल प्रसाद

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

Above all identified  
by Pradeep Kumar  
Adv

Signature of Pradeep Kumar



प्रमाणित पदा0 (राज्य अथवा केन्द्रीय) डाक्टर्स /  
इंजीनियर्स / नोटरी / विद्यालय / महाविद्यालय के  
प्राचार्य / बैंक या इन्श्योरेन्स ऑफिसर्स / पब्लिक सेक्टर  
के पदाधिकारी आदि (नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

Pradeep Prasad.

सरीता कुमारी

राजेश कुमार

# 'जन कल्याण परिषद समिति'

की  
नियमावली

## 1. परिभाषा :-

- (क) संस्था से अभिप्राय है :- 'जन कल्याण परिषद समिति'  
(ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति।  
(ग) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :- 1 अप्रैल से 31 मार्च।  
(घ) आम सभा से अभिप्राय है :- संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।  
(ङ) पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।  
(च) अधिनियम से अभिप्राय है :- संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

## 2. संस्था की सदस्यता की शर्तें :-

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनकी उम्र-18 वर्ष से अधिक की हो, जो इस संस्था के नियम एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों तथा इसके कार्यों में अभिरूचि रखते हो, इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को 100.00 (एक सौ) रुपये प्रवेश शुल्क एवं 100.00 (एक सौ) रुपये मासिक शुल्क देना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी समिति शुल्क में परिवर्तन कर सकती है।

## 3. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :-

निम्नलिखित अवस्था में सदस्यों की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी -

- क. स्वयं लिखित पत्र देने पर।  
ख. पतल या दिवालिया घोषित होने पर।  
ग. मृत्यु होने पर।  
घ. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।  
ङ. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।  
च. संस्था की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने पर।  
छ. न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर।  
ज. संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विपरीत अचारण करने पर।

Upendra Prasad

सुमिता कुमारी

राजेन्द्र प्रसाद

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क. संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) सहित कुल 7 (सात) सदस्य होंगे।  
ख. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 (पाँच) वर्षों की होगी।  
ग. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :-

- क) संस्था के कार्यों एवं योजनाओं पर निगरानी रखना एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित निर्देश देना।  
ख) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के लिए उत्तरदायी होना।  
ग) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना एवं आवश्यकतानुसार उपसमिति का गठन करना।  
घ) संस्था के विरुद्ध आचरण करने वाले या अनैतिक कार्य करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।  
ङ) आमसभा की बैठक की तिथि, स्थान एवं कार्यावली निर्धारित करना।  
च) संस्था की योजना एवं बजट तैयार एवं पारित कर आमसभा के समक्ष रखना।  
छ) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन एवं संस्था के विघटन के संबंध में अपनी अनुशंसा आमसभा के पास भेजना।  
ज) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।  
झ) आमसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यरूप देना।  
ञ) यदि कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो कार्यकारिणी समिति उस पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन आमसभा के वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् पारित कराना होगा। मनोनीत सदस्य उस पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है।

6. पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :-

(क) अध्यक्ष :-

- 1) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।  
2) संस्था के कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करना।  
3) किसी बैठक में समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देना।  
4) संस्था की गतिविधियों पर निगरानी रखना।  
5) सचिव को कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में सहयोग प्रदान करना।  
6) किसी भी तरह की बैठक बुलाने हेतु समय-समय पर सचिव को परामर्श देना।  
7) आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी या दूसरे संगठन की बैठक में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।  
8) समय-समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को पूरा करना।

Upencha Prasad

10  
सुनिता कुमारी

राजेंद्र प्रसाद

(ख) सचिव :-

- 1) बैठक का आयोजन करना।
- 2) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना।
- 3) संस्था की ओर से पत्राचार करना।
- 4) प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।
- 5) संस्था की आय-व्यय का अंकेक्षण कराना।
- 6) अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।
- 7) बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना।
- 8) आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्व अनुमति के 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन आगामी बैठक में इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
- 9) परियोजना बनाना तथा सोसाईटी का समस्त वित्तीय कार्य करना।

(ग) कोषाध्यक्ष :-

- 1) कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्यों एवं दायित्वों को पूरा करना।
- 2) समिति के आय-व्यय का हिसाब रखना, आय-व्यय का लेखा तैयार करने एवं सुरक्षित रखने में सचिव को सहयोग करना।
- 3) आमसभा में आय-व्यय लेखा प्रस्तुत करने में सचिव को सहयोग करना, उसे बैठक में रखना तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना।
- 4) सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।
- 5) कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय विषयों पर उत्तर देना।
- 6) आय के नए स्रोतों की खोज करना एवं तत्संबंधी परामर्श कार्यकारिणी को देना।
- 7) संस्था के लेखा का अंकेक्षण करवाना एवं संबंधित प्रतिवेदन आमसभा में रखना।

7. आमसभा का कार्य एवं अधिकार :-

- क. कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
- ख. संस्था की योजना बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
- ग. संस्था के लेखा के अंकेक्षण हेतु आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से अंकेक्षण को नियुक्त करना।
- घ. संस्था के स्मृतिपत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।
- ङ. संस्था के विघटन पर निर्णय लेना।
- च. अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।
- छ. संस्था के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

8. आमसभा की बैठकें :-

- क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर संस्था के सचिव की

Upencha Prasad.

सुनिता कुमारी

राजेंद्र प्रसाद

आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।

ग) कोरम :- आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संस्था के आधे से एक अधिक होगी (50% +1)

घ) बैठक की सूचना :-

- (1) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम-से-कम दस दिनों पूर्व दी जायेगी।
- (2) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

9. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :-

- क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी, जिसकी सूचना कम-से-कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। बैठक में भाग लेना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है।
- ख) आवश्यकता पड़ने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जिसकी सूचना कम-से-कम 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।
- ग) सूचना डाक द्वारा या सूचनाबही पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या विशेष दूत के द्वारा दी जायेगी।

10. आय का श्रोत :-

- क) सदस्यों का प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।
- ख) सरकारी एवं गैर-सरकारी अनुदान।
- ग) विशेष शुल्क एवं दत्त।
- घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहयोगी राशि द्वारा।
- ड.) सेवा / कार्य समाग्री वितरण से प्राप्त अल्पशुल्क।
- च) संस्था किसी व्यक्ति / किसी समूह / बैंक / संगठन / सरकार से ऋण ले सकती है।

11. कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :-

- क) संस्था के प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

12. अंकेंक्षण :-

- क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेंक्षण से उसका अंकेंक्षण कराया जाएगा।

Upendra Prasad,

12  
सुनिता कुमारी

राजेन्द्र प्रसाद

ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखंड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

13. संशोधन :-

संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

14. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य / सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

15. कानूनी कार्रवाई :-

संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

16. संस्था का विघटन एवं विघटनोंपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

क) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

ख) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।

ग) संस्था के विघटन के समय निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा - 13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह 'जन कल्याण परिषद समिति' नामक संस्था की सच्ची प्रति है।

पेंडो प्रसाद,  
अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद  
सचिव

सुमिता कुमारी  
कोषाध्यक्ष



झारखण्ड JHARKHAND

02AA 634922

